जनपद शामली पुलिस

--सोशल मीडिया सेल शामली--

प्रेस विज्ञप्ति **दिनांक-02.01.2025**

थाना कोतवाली शामली पुलिस द्वारा ड़कैती/लूट की योजना बनाते हुए 02 अभियुक्त गिरफ्तार व 03 बाल अपचारी पुलिस अभिरक्षा में, कब्जे से अवैध हथियार व कारतूस बरामदः-

दिनांक 01/02.01.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री राम सेवक गौतम के आदेशानुसार चलाये जा रहे संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चैकिंग अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी नगर के कुशल नेतृत्व में थाना कोतवाली शामली पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान ड़कैती/लूट की योजना बना रहे 02 अभियुक्त गिरफ्तार व 03 बाल अपचारी को पुलिस अभिरक्षा में लेने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है, जिनके कब्जे से 02 तमंचे 315 बोर मय 03 जिन्दा कारतूस 315 बोर व 02 अवैध चाकू बरामद हुये है। गिरफ्तारी/पुलिस अभिरक्षा एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली शामली पर सुसंगत धाराओं मे अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तगणः-

1.अनुज पुत्र कंवरपाल निवासी ग्राम खेड़ीकरमू थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।

2.उत्तम पुत्र सतेन्द्र निवासी ग्राम लिलौन थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।

बरामदगी का विवरणः-

1.दो अवैध तमंचे मय तीन जिन्दा कारतूस 315 बोर।

2.दो अवैध चाकू।

थाना कोतवाली शामली पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत जानलेवा हमला करने के मामले में 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से अवैध हथियार व कारतूस बरामदः-

ज्ञात हो कि दिनांक 23.12.2024 को वादी समीर पुत्र नानू निवासी मौहल्ला पंसारियान थाना कोतवाली शामली ने अपने भाई अफताब के साथ बाजार जाते समय रास्ते में राकिब, लल्ला व अन्य व्यक्ति ने मिलकर गाली गलौज व जान से मारने की नियत से फायर किया। जिसमें उपरोक्त अफताब के घायल हो जाने के सम्बन्ध में लिखित तहरीर दाखिल की थी। दाखिला तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली शामली पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया था। उपरोक्त घटना के सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक शामली ने थानाध्यक्ष कोतवाली शामली को घटना में लिप्त अभियुक्तगण की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु निर्देशित किया गया था ।

इसी क्रम में आज दिनांक 02.01.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री रामसेवक गौतम के आदेशानुसार चलाये जा रहे अपराध की रोकथाम एवं अपराध में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी नगर के निकट पर्यवेक्षण में थाना कोतवाली शामली पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत गाली गलौज करने व जानलेवा हमला करने के मामले में 01 अभियुक्त को अवैध 01 तमंचा मय 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली शामली पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु टीमें लगाई गयी है, शीघ्र गिरफ्तारी सुनिश्चित की जायेगी।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1.भूरा उर्फ नूर मौहम्मद पुत्र बाबर उर्फ शमशाद निवासी मौहल्ला पंसारियान थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।

थाना बाबरी/थानाभवन पुलिस द्वारा वांछित/वारण्टी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए 02 एनबीडब्ल्यू/वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तारः-

आज दिनांक 02.01.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली के आदेशानुसार चलाए जा रहे वांछित/वारंटी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में थाना बाबरी/थानाभवन पुलिस द्वारा वांछित/वारंटी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए 02 एनबीडब्ल्यू/वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। अभियुक्तों की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में सम्बन्धित थाने पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तगणः-

1.सलीम पुत्र हकीम निवासी ग्राम बुटराडा थाना बाबरी जनपद शामली।

2.दीपक पुत्र कैलाशचन्द निवासी ग्राम कादरगढ थाना थानाभवन जनपद शामली।

<u>उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप शामली पुलिस की अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही व पैरवी के चलते द्वारा खनन चोरी के मामले में 01 अभियुक्त को माननीय न्यायालय कैराना द्वारा सुनाई कारावास की सजा एवं अर्थदण्ड से दंडित भी किया गयाः-</u>

वर्ष 2019 में अभियुक्त इरफान पुत्र शकील निवासी ग्राम काकौर थाना कैराना जनपद शामली के विरुद्ध मु0अ0सं0 595/2019 धारा 379,411 भादवि व 4/21 खनन अधि0 थाना कैराना जनपद शामली पर पंजीकृत किया गया था। उक्त मामले में शामली पुलिस द्वारा तत्परता से साक्ष्य संकलन करते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया तथा सुसंगत ठोस साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध माननीय न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इसी क्रम में आज दिनांक 02.01.2025 को माननीय न्यायालय सीजेएम कैराना शामली द्वारा अभियुक्त इरफान उपरोक्त में जेल में बिताई गई अवधि के कारावास की सजा एवं 6,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 01 माह के कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।

<u>नाम व पता अभियुक्त-</u>

1.इरफान पुत्र शकील निवासी ग्राम काकौर थाना कैराना जनपद शामली।

<u>SOCIAL MEDIA CELL SHAMLI</u>